

**ई-निविदा सूचना**

म.वृ.वि.प्रा. द्वारा Tender Reference No. NIT 26/MVDA/2023-24 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मो/अनुभवो फर्मो से टू-बिड/सिंगल बिड पद्धति पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू धनांक (रु. लाख में)	धरोहर राशि (रु. लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु. G.S.T. सहित)	कार्य अवधि (माह में)	प्राधिकरण में पंजीकृत श्रेणी	ई-निविदा अपलोड/डाउनलोड की तिथि व समय	ई-निविदा खोले जाने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Selection of concessionaire for Supply, Installation, Operation, Maintenance of smart Parking Solution and rights for user Fee Collection Through Fastag at Multi Level at Rukmani Vihar Parking Vrindavan-Mathura	कार्य समापन के अनुसार। R.F.P.	50.00	11800.00	60	अनुभवो फर्म टू-बिड पद्धति	दिनांक 10.12.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 11.12.2023 को दोपहर 2:00 बजे
2	Engagement of Agency for Installation, Operation and Maintenance of Public Bike Sharing System at select locations in Mathura, Goverdhan & Vrindavan.	कार्य समापन के अनुसार R.F.P.	2.00	11800.00	60	अनुभवो फर्म टू-बिड पद्धति	दिनांक 20.12.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 21.12.2023 को दोपहर 2:00 बजे
3	जन्मभूमि पोतरा कुण्ड गेट से एन0एस0-19 तक ऑरनामेन्टल पोल द्वारा प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	73.35	5.66	2360.00	02	विद्युत-ए अथवा अर्हता के आधार पर अन्य अनुभवो फर्मो	दिनांक 16.12.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 18.12.2023 को दोपहर 2:00 बजे
4	मथुरा में मछली फाटक से भूतेश्वर तिराहे से होते हुए डीग गेट तक एल0ई0डी0 लाइट द्वारा प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	72.69	5.63	2360.00	03	विद्युत-ए अथवा अनुभवो फर्म	दिनांक 16.12.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 18.12.2023 को दोपहर 2:00 बजे
5	मथुरा में विभिन्न स्थानों पर 30 नग ई-बाईक स्टेण्ड का निर्माण कार्य।	49.91	4.50	1770.00	03	सिविल-बी	दिनांक 16.12.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक	दिनांक 18.12.2023 को दोपहर 2:00 बजे

**शर्त :-**

- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा मूल्य (नॉन रिफन्डेबिल) व वांछित जमानत (धरोहर) धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा, मथुरा (IFSC: BARBOVJMATH) के खाता संख्या 77450100023162 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुए प्राप्त यूटीआर स्लिप (पृथक-पृथक) की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आमन्त्रित कार्यो की निविदा में यदि पूर्व में किसी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रतिक्रिया गया है तथा अभी तक उसकी धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में जमा है, तो ऐसी स्थिति में यदि फर्म/ठेकेदार उसी सम्बन्धित कार्य की निविदा में प्रतिभाग करना चाहता है, तो जमा धरोहर धनराशि की पूर्व यूटीआर. स्लिप संलग्न कर प्रतिभाग कर सकता है। फर्म/ठेकेदार को निविदा प्रपत्र मूल्य पुनः जमा कराना अनिवार्य है।
- उपरोक्त समस्त कार्यो की निविदाओं हेतु वांछित धरोहर धनराशि सम्बन्धित कार्य के लिए ही मान्य होगी, अन्य किसी कार्य के लिए उक्त धरोहर राशि पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रपत्र व शर्त ई-पोर्टल वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं तथा निविदा को अपलोड/डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाओं में किसी प्रकार की संशोधन की सूचना <http://etender.up.nic.in> पर ही अपलोड/प्रदर्शित की जायेगी। इच्छुक निविदादाता नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को समय-समय पर देखते रहें।
- सिविल/विद्युत के कार्यो हेतु केवल एक श्रेणी उच्च में पंजीकृत फर्मो द्वारा भी प्रतिभाग मान्य होगा (कॉलम-7 में वर्णित श्रेणी से एक श्रेणी उच्च के पंजीकृत ठेकेदार भी प्रतिभाग कर सकेंगे।)
- रु. 40.00 लाख तक की लागत की निविदायें एकल बिड तथा इससे ऊपर की निविदायें टू-बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) पद्धति पर आमंत्रित मान्य होगी, परन्तु एकल बिड में पंजीकरण, ई.एम.डी. एवं टेण्डर फीस के परीक्षण उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। अधिकृत डीलर के प्रकरणों में अर्हता पात्रता की जांच भी की जायेगी।



- 8-दरों में सामान्यतः जी.एस.टी. अथवा कोई कर सम्मिलित नहीं है। निविदादाताओं को अपनी दरें बिना जी.एस.टी. के अंकित करनी होंगी। कार्य के मदों के सापेक्ष प्रभावी नियमानुसार जी.एस.टी. प्राधिकरण द्वारा अलग से देय होगा, जिन निविदाओं की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित किया गया है उनके बी0ओ0क्यू0 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है।
- 9-टैक्नीकल बिड के आधार पर केवल चयनित निविदादाताओं की फाइनेशियल बिड खोलने की सूचना वेबसाइट [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) पर उपलब्ध होगी।
- 10-सफल निविदादाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/आवास एवं शहरी विभाग, उ.प्र. द्वारा जारी कोविड-19 के समस्त मानकों (एस.ओ.पी.) के प्रचलित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 11-निविदा प्रपत्र एवं संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों को निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित, पेज नम्बरिंग एवं मोहरयुक्त व इण्डेक्सिंग किया जाना अनिवार्य है। म.वृ.वि.प्रा. में फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की वैधता तिथि स्पष्ट उल्लेख हो, अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- 12-निविदादाता की निविदा में अंकित केवल समान प्रकृति के पूर्ण किये गये कार्यों का अनुभव ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण टैक्नीकल बिड में अंकित किया गया है।
- 13-सड़कों के समस्त कार्यों हेतु "Defect removal/liability Period" कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम भुगतान की तिथि से तीन वर्ष अवधि होगी। उक्त अवधि में खराब/क्षतिग्रस्त कार्य को ठीक करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। तथा सड़कों एवं अन्य कार्यों में इण्टरलॉकिंग टाईल्स की स्पेशलिफिकेशन में संशोधन करते हुए इस क्षेत्र में उपलब्ध उच्च कोटि की प्रसिद्ध टाईल्स, नवल, जिन्दल व समकक्ष टाईल्स का उपयोग किया जायेगा।
- 14-अन्य समस्त कार्यों हेतु "Defect removal/liability Period" कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम भुगतान की तिथि से दो वर्ष अवधि होगी। उक्त अवधि में खराब/क्षतिग्रस्त कार्य को ठीक करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।
- 15-निविदादाता स्वयं प्रस्तावित निर्माण स्थल देखकर ही निविदा में प्रतिभाग करें एवं निविदा में दी गयी दरें निविदा की तिथि से तीन माह तक वैध रहेगी।
- 16-यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होता है, तो उसके अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी।
- 17-प्रतिभाग करने वाले ठेकेदारों को जी.एस.टी. (GSTN) नम्बर देना अनिवार्य होगा।
- 18-कार्य स्थल पर दोषपूर्ण एवं अधोमानक सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 19-केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर लगाये गये करों की कटौती नियमानुसार निविदादाताओं के चलित देयक से की जायेगी।
- 20-निविदादाताओं द्वारा बी.ओ.क्यू. की दरों से कम दरें अंकित करने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी.सी. दिनांक 08.06.12 के क्रम में नियमानुसार अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफोरमेंस गारण्टी देय होगी, जो मात्र एफ.डी.आर. के रूप में ही मान्य होगी, बैंक गारण्टी किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 21-निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व श्रम विभाग में लेबर सहित पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
- 22- मिट्टी के कार्य हेतु यदि रॉयल्टी की देयता बनती है तो उसे ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 23-मिट्टी के अतिरिक्त अन्य प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की रॉयल्टी भुगतान के सम्बन्ध में फार्म-सी अथवा एम.एम.-11/मूल ट्रांसजिट पास प्रस्तुत करना होगा।
- 24-प्रत्येक कार्य की मद मात्राओं में बचत/वृद्धि हो सकती है तथा निविदा बी.ओ.क्यू. दर से उच्च होने की दशा में अंतिम मात्राओं के आधार पर न्यायोचित लागत की गणना कर तदनुसार भुगतान किया जायेगा।
- 25-कार्य की गुणवत्ता (Quality/Assurance) की जाँच यथाआवश्यकता थर्ड पार्टी से करायी जायेगी, जिस पर आने वाले व्यय का भार निविदादाता द्वारा ही स्वयं वहन किया जायेगा।
- 26-प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 27-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित निविदा में उपनिदेशक पर्यटन मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में कार्य समाप्ति पर अतिरिक्त मदों की दरों पर भी 5 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

28- कॉलम संख्या 07 में अंकित अनुभवी फर्म का तात्पर्य ऐसी फर्मों से होगा, जिन्हें विषयगत कार्य में विशिष्ट अनुभव प्राप्त है तथा ऐसी फर्मों का प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं होगा उन्हें नियमानुसार सफल निविदादाता होने पर पंजीकरण कराना होगा।



मुख्य अभियन्ता  
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,  
मथुरा।

- प्रतिलिपि:-
1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ ।
  2. सचिव/मुख्य लेखाधिकारी को सूचनार्थ ।
  3. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0 प्रान्तीय खण्ड/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, मथुरा को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित ।
  4. अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया ससमय आर.एफ.पी. एवं बी.ओ.क्यू Website <http://etender.up.nic.in> पर तथा उक्त सूचना प्राधिकरण की <http://mvdamathura.com> पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
  5. श्री राजेश्वर सिंह, सहा0अभि0 को उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय आदेश संख्या-1456, दिनांक 27.09.2023 के क्रम में अनुपालनार्थ तदानुसार ससमय आर.एफ.पी. एवं बी.ओ.क्यू Website <http://etender.up.nic.in> पर तथा उक्त सूचना प्राधिकरण की Website <http://mvdamathura.com> पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता